(10)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2006

**सं. एल. 7/25(5)/2003-के.वि.वि.आ.** .—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की यह राय है कि विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए व्यापार मार्जिन नियत करना आवश्यक है।

अंतः, अब, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2006 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **व्यापार मार्जिन.**—अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचित ऊर्जा, खुली पहुंच और पारेषण हानियों के प्रभारों के सिवाय सभी प्रभारों सहित 4.0 पैसे/कि.वा.घं. से अधिक का व्यापार मार्जिन प्रभारित नहीं करेगा।

**स्पष्टीकरण:**—खुली पहुंच के प्रभारों के अंतर्गत पारेषण प्रभार, प्रचालन प्रभार और आवेदन फीस है।

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असा./150/2005]

237 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, R
and Published by the Controller of